कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
(श्रम मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' Provident Fund Organization
(Ministry of Labour, Govt. Of India)
मुख्य कार्यालय / Head office
भविष्य निधि भवन, 14– भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14- Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066

पत्र सं: हिं.अ. (6) के का/हि.शि.यो/2010 11940

दिनांक:– 16 DEC 2011

सेवा मे,

निदेशक,
नाटरस
जनकपुरी, दिल्ली

विषय:– **Organizing five full day training programme on Hindi medium by the trainers of various Central Government training institutes for the year 2012**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, गृहमंत्रालय, राजभाषा विभाग से प्राप्त पत्र सं. 19011/26/2011 केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/अल्प ग.प्र.शि/3297 से 5296 दिनांक 11.11.2011 की एक प्रति एतद् द्वारा आपके सूचनार्थ एवं यथावश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

आपसे अनुरोध है कि इस पर की गई कार्रवाई से मुख्यालय को भी अवगत कराएं।

संलग्न:– यथोपरि

वीणा यादव
सहायक निदेशक (राजभाषा)

463
23/12/11

प्रतिलिपि:–

1.सभी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान
2. एन डी सी – वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

19011/26/2011/के.हि.प्र.सं./अल्प.ग.प्रशि. /3297 से 5296
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
दूरभाष -23793521 MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

दिनांक : 11.11.2011

सेवा में

समस्त मंत्रालय/विभाग/सरकारी उपक्रम/बैंक/निगम/सांविधिक निकाय/लोक उद्यम/संगठन आदि ।

विषय:- भारत सरकार के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों द्वारा हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण देने के संबंध में - पांच पूर्ण कार्य-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन वर्ष-2012.

महोदय,महोदया,

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा भारत सरकार के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों के लिए हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं । वर्ष 2011 तक इस संस्थान द्वारा 37 (सैंतीस) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं । कार्यालयों/ प्रशिक्षण संस्थानों में अभी भी ऐसे संकाय सदस्यों (Faculty Members) की संख्या काफी है, जिन्हें हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण देना जाना शेष है इसलिए इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को वर्ष 2012 में भी चलाने का निर्णय लिया गया है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों के प्रशिक्षकों को उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित करने का कष्ट करें ।

प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी

क्र.सं	कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	अवधि	नामित अधि. की पात्रता/पदनाम	भारत सरकार के कार्यालय जिनके लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है
1.	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों द्वारा अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के साथ-साथ हिंदी भाषा के माध्यम से भी अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण देना ! उनकी हिंदी भाषा की अभिव्यक्ति को अधिक सशक्त बनाना ।	14.05.2012 से 18.05.2012 तक पाँच पूर्ण कार्य दिवसीय	ऐसे संकाय सदस्य (Faculty members) जो अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रशिक्षण दे रहे हैं पर जिन्हें हिंदी भाषा के माध्यम से प्रशिक्षण देने में कठिनाई हो रही है ।	भारत सरकार के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थान, मंत्रालय, विभाग, सरकारी उपक्रम, बैंक, निगम, सांविधिक निकाय, लोक उद्यम, संगठन आदि ।

...2..

... नई दिल्ली-110011 / 2A, Prithvi Raj Road, New Delhi-110011 फैक्स/Fax-011-23013746
... वेबसाइट / Website ...

नाग कन विधि ए: प्रपत्र

- प्रशिक्षण व का पता: अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्राल 2-ए, पृथ्वीराज रोड, (जे एंड के हाउस के सामने/राजस्थान भवन के नजदीक) नई दिल्ली-110011

- उपर्युक्त प्र क्षण के लिए नामित किए जाने वाले प्रशिक्षकों के ब्यौरे अनुलग्नक 'क' में दिए गए प्रपत्र में यथा समय स कार्यालय को अवश्य भिजवा दिए जाएं ।

- कार्यक्रम क समय सुबह 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक निर्धारित है ।

- नामांकन नि रित प्रपत्र में ही भेजा जाए ताकि पत्राचार में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो ।

- प्रशिक्षण के लए नामित अधिकारी को अलग से यथासमय पुष्टि पत्र भेजा जाएगा ।

- केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पुष्टि दिए जाने के उपरांत ही नामित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यक्रम में वेश दिया जाएगा ।

विशेष

- सभी मंत्राल , विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि इस परिपत्र को सभी स द्ध कार्यालयों/इकाइयों/शाखाओं में शीघ्र परिचालित करवाने का कष्ट करें ।

- यात्रा/दैनिक त्ता आदि जो भी देय होगा वह नामित प्रतिभागी के कार्यालय/संगठन द्वारा ही वहन किया जाएगा, इस संस्थान द्वारा नहीं ।

- कृपया यह निश्चित करने का कष्ट करें कि इस कार्यक्रम में जिन अधिकारियों के नामों की पुष्टि इस कार्यालय द्वारा भेजी जाती है उन्हें अवश्य कार्यमुक्त किया जाए । यदि किसी कारण वश हें छोड़ना संभव न हो तो उनके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी को भेज सकते हैं । नामित अधिकारी को ऐसे ही किसी अगले कार्यक्रम में भिजवाने की व्यवस्था करना भी सुनिश्चित करें ।

- प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत प्रत्येक प्रतिभागी को प्रमाण-पत्र तथा कार्यमुक्ति आदेश दिया जाएगा ।

- प्रशिक्षण से संबंधित अन्य वांछित जानकारी के लिए संबंधित प्रभारी सहायक निदेशक से फोन नं. 011-23793521 पर संपर्क करें ।

संपर्क सूत्र

1.	2.
निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, सातवाँ तल पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 दूरभाष-01 24361852 फैक्स-011- 4361852 ई-मेल dir ti-dol@nic.in	प्रभारी सहायक निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण एकक, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली -110011 दूरभाष-011-23793521 फैक्स-011-23018740

प्रशिक्षण केंद्र तथा हॉस्टल का पता तथा उनके बस रुट

प्रशिक्षण केंद्र	हॉस्टल
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण एकक 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली -110011 दूरभाष-011-23793521 बस रूट- नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से संघ लोक सेवा आयोग, शाहजहाँ रोड तक बस नं.- एम-13,56 पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से पृथ्वीराज रोड बस नं.- 502 अ.रा.बस अड्डे से पृथ्वीराज रोड तक बस नं-521,503,533, 621	वार्डन (हॉस्टल), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, फ्लैट नं. 2 गवर्नमेंट हॉस्टल, तीसरा तल, देवनगर, करोल बाग के पास, नई दिल्ली -110005. दूरभाष,011-28716509 बस रूट -नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से खालसा कॉलेज बस नं. 181 पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से लिबर्टी सिनेमा बस नं. 926 हॉस्टल से संघ लोक सेवा आयोग, शाहजहाँ रोड तक (पृथ्वीराज रोड) बस नं. 450,181

भवदीया,

(मोहिनी हिंगोरानी)

निदेशक

पृष्ठांकन संख्या-19011/16 2011/के.हि.प्र.सं./अल्प.ग.प्रशि. / दिनांकः

प्रतिलिपि सूचनार्थः-

1. संयुक्त सचिव के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, लोकनायक भवन, नई दिल्ली ।
2. निदेशक (प्रशिक्षण), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, लोकनायक भवन, नई दिल्ली ।
3. निदेशक (सेवा), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, लोकनायक भवन, नई दिल्ली ।
4. निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, लोकनायक भवन, नई दिल्ली ।
5. निदेशक (तकनीकी), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, लोकनायक भवन, नई दिल्ली ।
6. संयुक्त निदेशक (मुख्यालय) हिंदी शिक्षण योजना, सातवां तल, पर्यावरण भवन नई दिल्ली ।
7. संपादक, राजभाषा भारती, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, लोकनायक भवन, नई दिल्ली ।
8. सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना ।
9. सभी उपनिदेशक (कार्यान्वयन) को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु ।
10. उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली ।
11. सहायक निदेशक अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सातवां तल, पर्यावरण भवन नई दिल्ली ।
12. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सातवां तल, पर्यावरण भवन नई दिल्ली को इस निदेश के साथ कि वे इसे राजभाषा विभाग के पोर्टल/वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं ।
13. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सातवां तल, पर्यावरण भवन नई दिल्ली ।
14. प्रभारी सहायक निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, हैदराबाद, बेंगलूर ।

(मोहिनी हिंगोरानी)

निदेशक

प्रपत्र

प्रशिक्षक का नाम	पदनाम	मातृभाषा	वर्तमान तैनाती का स्थल	शैक्षिक/तकनीकी अर्हता	हिंदी का ज्ञान	टेलीफोन नं(कार्यालय/मोबा.	ई मेल आई डी

प्रायोजक अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम

संस्थान, कार्यालय का पूरा पता...

टेलीफोन नं. .... फैक्स नं. ....

ई मेल आई डी ..